



2026:AHC:58648-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10696 वर्ष 2026

जगन लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	पूजा सिंह, राजेश यादव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., विनीत पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी,

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव; राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री एफ.ए. अंसारी; और प्रत्यर्थी-उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी का पक्ष रखते हुए श्री शिवम वर्मा को सुना गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुख्य राहतों के लिए दायर की गई है:

“क) प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा जारी दिनांक 13.08.2025 के आक्षेपित सूचना (रिट याचिका का अनुलग्नक सं. 3) को निरस्त करते हुए, उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ख) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे ग्राम शादी नगर, पट्टी छोटे,



तहसील सदर, जिला रामपुर में स्थित खसरा संख्या 71 वाली भूमि पर याचिकाकर्ता

के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोरदार ढंग से यह तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि का वैध स्वामी याचिकाकर्ता ही है। अपने इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने राजस्व अभिलेखों का हवाला दिया और यह प्रस्तुत किया कि आक्षेपित सूचना अपने आप में ही अमान्य है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह भी बयान दिया कि विवादित भूमि कोई अधिग्रहित भूमि नहीं है।

4. इसके विपरीत, विरोधी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 174 वर्ष 2026 (इंदर लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) में दिनांक 24.2.2026 को पारित आदेश पर भरोसा जताया है, जिसमें विवाद उसी खसरा संख्या 71 से संबंधित है और उसमें याचिकाकर्ता, यानी इंदर लाल ने पहले ही सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद संख्या 488 वर्ष 2020 (इंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य) दायर कर दिया था। हमें यह सूचित किया गया है कि उक्त कार्यवाही में, 6-सी आवेदन खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध एक प्रकीर्ण अपील विचाराधीन बताई गई है। इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि चूंकि सक्षम सिविल न्यायालय ने दिनांक 13.8.2025 के सूचना पर विचार किया है और इंदर लाल (उपर्युक्त) के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उक्त पहलू की जांच सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की जा सकती है— क्योंकि उक्त कार्यवाही में यह सूचित किया गया था कि 6-सी आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध एक प्रकीर्ण अपील विचाराधीन है—अतः, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.2.2026 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आदेश में यह टिप्पणी की गई थी कि उक्त आदेश, लंबित दीवानी वाद और उससे जुड़ी अपीलीय कार्यवाहियों में याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा; इन मामलों का निर्णय विधि के अनुसार, और इसमें की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, उनके अपने-अपने गुण-दोषों के आधार पर किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का सटीक निवेदन यह है कि जब इस न्यायालय ने समान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 13.8.2025 के सूचना पर विचार करने से इनकार कर दिया है, तो वर्तमान रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

5. इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर



किया है, जिसमें अब तक, सूचना दिए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थी ने अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया है और 6-सी आवेदन पर सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने बिना किसी अधिकार, हक या दावे के, आक्षेपित सूचना जारी करने की कार्रवाई की है। यदि इस न्यायालय द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि उठानी पड़ेगी।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इन्दर लाल (उपर्युक्त) में पारित आदेश से अलग कोई राय रखने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, चूंकि यह मामला इस हद तक अलग है कि याचिकाकर्ता के 6-सी आवेदन पर सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा अभी निर्णय लिया जाना बाकी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा और यहाँ मांगी गई राहत को सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी)

मार्च 20, 2026

ए. के. श्रीवास्तव